

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर


क्रमांक: प.1/प्रति-4/स.का.अधी./पदो./2013/ 11918-25 दिनांक: 20-6-17

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर उक्त नियमों के नियम 33 के अन्तर्गत निम्नांकित क्लर्क ग्रेड-1 को सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर वेतनमान पै-बैण्ड पी.बी.-2 (9300-34800) + ग्रेड पे नं. 11 (3600/-) में निम्नानुसार पदोन्नत किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-


क. सं.	क्लर्क ग्रेड-1	संवर्ग	जन्म दिनांक	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	श्री कांतिलाल खत्री	एस.सी.	03.06.1964	2016-17	01.04.2016	जिला कार्यालय सिरोही

नोट:- उक्त कार्मिक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर अन्दर वर्तमान में कार्यरत स्थान पर ही पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।


(स्नेहलता पंवार)
निदेशक
दिनांक: 20-6-17

क्रमांक: प.1/प्रति-4/स.का.अधी./पदो./2013/ 11918-25
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर
- 2- निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर
- 3- उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर
- 4- जिला आयुर्वेद अधिकारी सिरोही
- 5- कार्यालय अधीक्षक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
- 6- संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी
- 7- प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 8- सामान्य पत्रावली


अति.निदेशक(आयु)